बैलाडिला निक्षेप-II-बी के हस्तान्तरण के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जुलाई, 1996 में एक जनहित मुकदमा (पी०आई०एल०) दायर किया गया है। याचिका पर सुनवाई दिनांक 14.10.96 को हुई। दूसरी बैंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को 29.10.96 तक स्थगित कर दिया गया। तथापि, मामला कथित तारीख की सूची में शामिल नहीं था। पुनः इसे 6.11.96 की सूची में रखा गया। मैसर्स बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि० स्वयं को एक पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन मंजूर कर लिया गया। 18.2.97 को मामले पर सुनवाई के बाद अब इसे 26.3,97 तक अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।

सरकार द्वारा लिया गया निर्णय यह है कि यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है अतः सरकार को न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

गुजरात में लौह और इस्पात परियोजनाए

257. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई लौह और इस्पात परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात में भी लौह और इस्पात परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) सरकार द्वारा "उद्यमियों के लिए लोहा और इस्पात उद्योग के मार्गदर्शी सिद्धांत" अक्तूबर, 1992 मे जारी किए गए थे, जिनके तहत नई लोहा और इस्पात परियोजनाएं और कोयला बनाने के संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए देश में 25 संभावित स्थल अभिज्ञात किए गए।

(ख) और (ग) सरकार का गुजरात में लोहा और इस्पात परियोजना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान परिसज्जित इस्पात का प्रत्याशित उत्पादन 235.04 लाख टन है।

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

Survey regarding drug abuse by students

258. SHRI P. SOUNDARARAJAN:
SHRI N. THALAVAI SUNDARAM:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey in the country to find out the extent of drug abuse by the youth, particularly students;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that drug addiction in students in the metropolises has alarmingly increased in the recent years; and

(d) if so, the action Government propose to take to tackle this drug menace?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The Ministry of Welfare sponsored a multi-centred study on student population in 1975-76 and a repeat study after a decade (1985-86) to assess the prevalence of drug abuse among University students. The 1975-76 study covered seven centres which included Bombay, Delhi, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Madras and Varanasi. In the study of 1985-86, two more centres, namely, Bangalore and Calcutta were added.

(b) The major findings of these two studies are:

(i) The prevalence of abuse of licit